न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी- मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या : 2025/63

1. सत्यनारायण पुत्र रमेश चन्द जाति कुमावत
2. कंचन बाई बेवा रमेशचन्द जाति कुमावत
निवासीगण कनवास तहसील कनवास जिला कोटा
3. बनवारी लाल पुत्र कालूलाल जाति कुमावत निवासी कनवास तहसील कनवास
4. महावीर पुत्र कालूलाल
5. ममता पुत्री कालूलाल
6. भूली बेवा कालूलाल

——अपीलांटगण

बनाम

1. मदनलाल पुत्र नन्दलाल जाति कुमावत
2. केदारलाल पुत्र नन्दलाल जाति कुमावत
निवासीगण कनवास तहसील कनवास जिला कोटा
3. जगन्नाथ पुत्र नन्दलाल जाति कुमावत निवासी कनवास तहसील कनवास
4. भरोसी पुत्री केसरीलाल पत्नी लोकेश जाति कुमावत निवासी बडा नयागांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
5. छीतरलाल पुत्र जगन्नाथ जाति कुमावत(माता मथुरी) निवासी अन्ता तहसील अन्ता जिला बारां
6. भवानी शंकर पुत्र जगन्नाथ(माता मथुरी) निवासी अन्ता तहसील अन्ता जिला बारां
7. कंचन बाई पुत्री जगन्नाथ पत्नी रामकिशन जाति कुमावत निवासी झालीपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा
8. गीता बाई पत्नी राधेश्याम जाति ब्राह्म्ण निवासी कनवास तहसील कनवास जिला कोटा
9. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास

—रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस :— 1. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, अपीलांट की ओर से।
2. श्री ओमप्रकाश नागर, अभिभाषक, रेस्पो. 1, 2 की ओर से।
3. श्री मुकेश मनोहर केसरी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट संख्या 8 की आरे से।

अपील संख्या 2025/63
सत्यनारायण बनाम मदनलाल वगै0

निर्णय दिनांकः 30.06.2025

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा के प्रकरण संख्या 03/2017 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08.10.2021 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम सीमल्या पटवार हल्का सीमल्या तहसील कनवास में मुताबिक जमांबदी सम्वत 2072–2075 की खाता संख्या 31 की खसरा नबंर 188 की रकबा 0.15 है०, खसरा नबंर 189 की रकबा 2.57 है०, आराजी स्थित है। उक्त आराजी राजस्व रिकार्ड में वादीगण व प्रतिवादी नबंर 01 लगायत 06 के संयुक्त खाते में दर्ज है। उक्त आराजीयात के अलावा भी वादी व प्रतिवादीगण व अन्य के संयुक्त खाते में विभिन्न ग्रामों में भिन्न खसरा नबंर की आराजी स्थित है जो निम्न है। ग्राम सीमल्या की खाता संख्या 30 की खसरा संख्या 171, 172 कुल किता 2 कुल रकबा 2.66 हैक्टेयर, ग्राम जगदीशपुरा की खाता संख्या 38 की खसरा संख्या 227, 228, 297 कुल किता 3 कुल रकबा 2.20 हैक्टेयर, ग्राम कनवास की खसरा सख्या 1876, 1417, 1525, 1545, 1546, 1548, 1549, 1805/1 कुल किता 5 कुल रकबा 5.73 हैक्टेयर। वादपत्र में सजरा परिवार अंकित किया। उपरोक्त सम्पूर्ण आराजी गंगाराम जी की खातेदारी की है, जिनके मृत्यु होने पर सजरानुसार दर्ज हुई उक्त आराजी सेटलमेंट से पूर्व निम्न प्रकार दर्ज थी। उपरोक्त समस्त आराजी गंगाराम जी क खातेदारी की है, जिनके मृत्यु होने पर सजरानुसार दर्ज हुई उका आराजी सेटलमेंट के पूर्व निम्न प्रकार दर्ज थी। ग्राम सीमल्या की खाता संख्या 68 की खसरा संख्या 77, 87, 94 कुल किता 3 रकबा 48 बीघा 16 बिस्वा, ग्राम जगदीशपुरा की खाता संख्या 27 की खसरा संख्या 161, 208 कुल किता 2 कुल रकबा 13 बीघा 12 बिस्वा, ग्राम कनवास की खाता संख्या 185 की खसरा संख्या 1686, 1688 कुल किता 2 कुल रकबा 8 बीघा 8 बिस्वा, ग्राम कनवास की खाता संख्या 207 की खसरा संख्या 1910, 1996 कुल किता 2 कुल रकबा 28 बीघा 4 बिस्वा, ग्राम कनवास की खसरा संख्या 1612, 1702, 1703, 1704, 1705, 1865 कलु किता 5 रकबा 42 बीघा 11 बिस्वा। उपरोक्त आराजी में मथरी व रामकन्या ने उनका हिस्सा रिलीज कर दिया था, जिसके बाद उनका कोई हिस्सा शेष नहीं बचा था, तत्पश्चात रतनलाल जी का हिस्सा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमंडी द्वारा विभाजन का बाद संख्या 25/94 बउनवान बद्रीलाल बनाम केसरा वगैरा में डिक्री कर उनके वारिसान में पृथक खाता दर्ज कर दिया उक्त विभाजन वाद संख्या 25/94 में भी वादी द्वारा परस्पर सहमति से किये गये विभाजन को अपने वाद पत्र में वर्णित किया गया था, तथा प्रतिवादीगण अन्य सहखातेदार द्वारा भी अपने इकबालिया जवाब दावा में भी वाद पत्र में वर्णित बंटवारा अनुसार सभी के मध्य सम्पूर्ण

आराजी के बंटवारे की रिलीफ चाही थी तथा वाद डिक्री करने का निवेदन किया था परन्तु वाद पत्र प्राथमिक डिक्री होने के बाद हल्का पटवारी द्वरा केवल वादी के हिस्से की ही प्रस्तावित विभाजन रिपोर्ट प्रस्तुत करने से केवल वादी रतन के वारिसान का ही खाता पृथक हुआ शेष आराजी संयुक्त ही रह गई। तत्पश्चात आराजी संयुक्त रहते हुये सहखातेदारन के फांत होने से विरासतन वारीसान में दर्ज होती गई परन्तु परस्पर सहमति से गंगाराम जी के द्वारा किये गये विभाजन अनुसार कब्जा उसी प्रकार आज तक करीब 60 वर्षों से मौक पर चला आ रहा है। राजस्व रेकार्ड में मथरीबाई द्वारा ग्राम सीमल्या में उनका सम्पूर्ण हिस्सा रिलीज करने के बाद तथा विभाजन में रतनलाल का हिस्सा पृथक हो जाने के बावजूद भी मथरी का नाम रिकार्ड में दर्ज ही रह गया। सेटलमेंट बाद आराजी वाद पत्र के पैरा नबंर 02 में दर्शाये अनुसार दर्ज हुई तथा परस्पर सहखातेदारान ने अपने–अपने हिस्से व कब्जे की आराजी में से अन्य सहखातेदारन के नाम निकलवाने के लिये रिलीज डीड निष्पादित की वादीगण के भी हिस्से में वाद पत्र के पैरा नबंर 01 में वर्णित आराजी आई थी और वादीगण उसी पर काबिज है, जिसमें प्रतिवादीगणों को छोडकर शेष सहखातेदारन ने रिलीजड डीड वादीगण के पक्ष में कर दी तथा वादीगणों ने भी वाद पत्र के पैरा नबंर 02 में वर्णित आराजी में अपने हिस्से की रिलीज सम्बन्धित सहखातेदारों के पक्ष में कर दी। वर्तमान में वाद पत्र के पैरा नबंर 01 में वर्णित आराजी वादीगण के हिस्से व कब्जे में है परन्तु उक्त आराजी में प्रतिवादीगण 01 लगायत 06 के नाम भी दर्ज हैं। जबकि प्रतिवादी नबंर 01 जगन्नाथ ग्राम कनवास में उसके हिस्से की आराजी पर काबिज है। प्रतिवादी नबंर 01 जगन्नाथ ने अपने सम्पूर्ण हिस्से की आराजी की एवज में एक ही जगह कनवास में आराजी प्राप्त की है तथा वादीगण ने अपने हिस्से की आराजी को एक ही जगह ग्राम सीमल्या खसरा नबंर 188 व 189 की कुल 2.72 है0, प्राप्त की है। प्रतिवादी नबंर दो ने भी उसके हिस्से में आने वाली सम्पूर्ण आराजी को खसरा नबंर 171 में प्राप्त कर अपने भाईयों से काश्त करवाती है। प्रतिवादी नबंर 03, 04, 05 की माता मथुरीबाई द्वारा सम्पूर्ण हिस्सा दिनांक 07.01.1997 को ही रिलीज कर देने से इनकी माता मथुरीबाई का कोई हिस्सा शैष नहीं रहने से प्रतिवादी नबंर 03, 04, 05, का नाम सहवन से दर्ज हो गया जिनका कोई हिस्सा नहीं होने से उनका नाम डिलीट किया जाना आवश्यक है। प्रतिवादी नबंर 065 भी वक्त खरीद से ही खसरा नबंर 171 की आराजी पर एक ही स्थान पर सम्पूर्ण बनने वाले हिस्से पर काबिज है। इस प्रकार प्रतिवादी नबंर 01 लगायत 06 का वाद पत्र के पैरा नबंर 01 में वर्णित आराजी ग्राम सीमल्या की खसरा नबर 188 की 0.15 है0, खसरा नबंर 189 रकबा 2.57 है0, कुल 2.72 है0, आराजी में कोई हक व हिस्सा नहीं है न कब्जा है। तथा वादीगण का भी वाद पत्र के पैरा नबंर 01 में वर्णित सम्पूर्ण आराजी के अलावा अन्य किसी आराजी पर कब्जा नहीं है। वादीगण ने प्रतिवादीगण से ही भी परस्पर रिलीज कराने अथवा विभाजन कराने को कहा तो वह टालमटोल कर आनाकानी कर रहे हैं। इसलिये वादीगण के लिये यह आवश्यक हो गया है कि वह वाद पत्र के पैरा नबंर 01 में वर्णित आराजी मे से प्रतिवादीगण के नाम हटाकर सम्पूर्ण आराजी का अपने को खातेदार घोषित करावे।

3. उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 08.10.2021 को वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी के विभाजन की अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08.10.2021 से व्यथित होकर अपीलांट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08.10.2021 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08.10.2021 को निरस्त फरमाया जावे।

5. अपीलांट की ओर से अपील मियाद बाहर पेश की गई। अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. प्रस्तुत किया गया। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील धारा 96 सी.पी.सी. प्रार्थना–पत्र के निर्णयाधीन सब्जेक्ट–टू–लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 8 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण प्रकरण में वर्णित आराजी के खातेदार है जिन्हे पक्षकार बनाये बिना ही आदेश एवं डिक्री प्रदान कर दी जिससे प्रार्थीगण के हक व अधिकार प्रभावित होते है । आदेश एवं डिक्री से प्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड मे से हटा दिया गया व दर्ज नाम के आधार पर खुर्द बुर्द करने पर आमादा है इस प्रकार प्रार्थीगण प्रभावित पक्षकार होने से अपील की अनुमति प्रदान किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीगण को अपील की अनुमति दी जावे। अन्त में अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किए जाने का निवेदन किया।

7. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में वर्णित आराजी के प्रार्थीगण खातेदार

होने के बावजूद भी बिना पक्षकार बनाये ही आदेश एवं डिक्री प्रदान कर दी जिसकी जानकारी दिनांक 25.01.25 को नकल लेकर बैंक मे ऋण लेने जाने पर बैक द्वारा बताने पर हुयी जिसपर सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर नकल का आवेदन कर अपील प्रस्तुत है। प्रार्थीगण गरीब ग्रामीण मजदूर पेशा व्यक्ति है। न्यायहित मे उदारता का रूख अपनाकर देरी को क्षमा किया जावे। अतःप्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी से अपील मे हुयी कुल देरी को कन्डोन करते हुए अपील मे सुनवायी किये जाने के आदेश प्रदान करे। अन्त में प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किए जाने तथा अपील अंदर मियाद शुमार किए जाने का निवेदन किया।

8. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 ने लिखित बहस प्रस्तुत की तथा अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेन्टगण द्वारा पृथक से सहायता चाहने के बावजूद भी न्यायालय द्वारा पृथक सहायता प्रदान कर दी गई जो वादीगण रेस्पोडेन्टगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में कभी भी नहीं चाही गई थी किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सहायता प्रदान कर दी गई जो गलत है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना आवश्यक है ताकि उभयपक्षकारान के मध्य विवाद का न्यायसंगत निस्तारण हो सके। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किए जाने का निवेदन किया।

9. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 8 ने विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस का समर्थन किया तथा अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर उभयपक्षकारान के साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किए जाने के निर्देशों के साथ प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किए जाने का निवेदन किया।

10. हमने उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। अपीलांटगण का कथन है कि अपीलांटगण वादग्रस्त आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार है जिन्हें प्रकरण में पक्षकार कायम किए बिना ही प्रश्नगत निर्णय व डिक्री दिनांक 08.10.2021 पारित की गई है। अपीलांटगण ने स्वयं को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 08.10.2021 से प्रभावित पक्षकार होने का कथन किया है तथा धारा 96 सी.पी.सी. प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किए जाने का अनुतोष चाहा गया है। पत्रावली में संलग्न विवादित आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में अपीलांटगण का नाम बतौर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। चूंकि अपीलांटगण को अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार कायम किए बिना ही प्रश्नगत निर्णय व डिक्री दिनांक 08.10.2021

पारित की गई है अतः अपीलांटगण का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री से प्रभावित पक्षकार होना प्रकट होता है। अतः न्यायहित में अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है। अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

सर्वप्रथम प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण किया जाना उचित होगा। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत निर्णय दिनांक 08.10.2021 को लोक अदालत के तहत पारित किया गया है तथा अपीलांटगण अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थे, इस कारण उन्हें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08.10.2021 की जानकारी नहीं हो सकी। अतः हमारे मत में प्रार्थी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित कथन विश्वसनीय प्रतीत होते है अतः प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। न्यायहित में अपीलांट प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

अपीलांटगण का कथन है कि अपीलांटगण वादग्रस्त आराजी के खातेदार है अतः अपीलांटगण अधीनस्थ न्यायालय में आवश्यक पक्षकार थे, परन्तु अपीलांटगण के आवश्यक पक्षकार होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेन्टगण को पक्षकार कायम नहीं किया गया है। हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2072 से 2075 वाके ग्राम सीमलिया की खाता संख्या 30, जमाबंदी सम्वत् 2060 से 2063 वाके ग्राम सीमलिया की खाता संख्या 43, जमाबंदी सम्वत् 2069 से 2072 वाके ग्राम जगदीशपुरा तहसील सांगोद की खाता संख्या 38, जमाबंदी सम्वत् 2069 से 2072 वाके ग्राम कनवास की खाता संख्या 151, 152, 153, 154 का अवलोकन किया। उक्त सभी जमाबंदीयों में अपीलांटगण का नाम खातेदार के रूप में दर्ज रिकॉर्ड है। अतः अपीलांटगण वादग्रस्त आराजी के अभिलिखित खातेदार है। चूंकि अपीलांटगण वादग्रस्त आराजी के अभिलिखित खातेदार है अतः अपीलांटगण हस्तगत प्रकरण के आवश्यक पक्षकार थे जिन्हें अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार कायम किया जाना आवश्यक था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ना तो अपीलांटगण को पक्षकार कायम किया गया और ना ही उन्हे हस्तगत प्रकरण के सम्बंध में कोई नोटिस/सूचना–पत्र जारी किए गए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को पक्षकार कायम किए बिना ही प्राकृतिक न्याय से वंचित रखते हुए वादग्रस्त आराजी के विभाजन की अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 08.10.2021 पारित की गई है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किए जाने योग्य है। हमारे मत में किसी भी प्रकरण वादग्रस्त आराजी के सहखातेदार उस प्रकरण में आवश्यक पक्षकार की श्रेणी में आते है, जिन्हें सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किए जाने के उपरांत ही किसी न्यायसंगत निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। अतः हमारे मत में अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलांटगण को पक्षकार कायम किए जाने तथा साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किए जाने के निर्देशों के साथ प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

11. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा के प्रकरण संख्या 03/2017 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08.10.2021 निरस्त की जाती है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलांटगण को प्रकरण में पक्षकार कायम किया जावे, अपीलांटगण को जवाबदावा एवं साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करें तथा सी.पी.सी. के आदेश 20 नियम 5 की पालना करते हुए नवीन निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई हेतु दिनांक 18.08.2025 को स्वयं उपस्थित रहें

12. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

13. निर्णय आज दिनांक 30.06.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा